पत्र संख्या / एफ0टी0. 48–4068 / 2020 (एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लॉगवुड, शिमला,
हिमाचल प्रदेश–171001

दिनांक शिमला–1 [13 MAR 2023]

विषय: **Diversion of 2.4037 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of road from Kufar to Kanda, Shilyar, Gavan, Sunna, Bathal in GP Halau (Kms. 0/0 to 4/00), within jurisdiction of Chopal Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh. (Online No. FP/HP/Road/44200/2020)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर एफ0सी0 / एच0पी0बी0 / 06 / 33 / 2022 दिनांक 15/09/2022 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1 प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर सहमति जताई है कि वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

2 प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर सहमति जताई है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

3 **प्रतिपूरक वनीकरण:**

क) वन मण्डलाधिकारी द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 4.8080 हे0 वन क्षेत्र Survey No.53F/09 UPF Kerag, Kanda Forest Range, Chopal Forest Division, Distt. Shimla, H.P. में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा । जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाएगा। चूंकि जमीन राज्य सरकार के कब्जे में है। अतः FCA Guidelines के Para 2.4 (iii) के अनुसार CA land को विधिवत् स्वीकृति से पूर्व राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और नामांतरित किया जाएगा एवं नियमानुसार अगर आवश्यक हो तो IFA, 1927 के अंतर्गत PF/RF अधिसूचित किया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

(ख) वन मण्डलाधिकारी द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। प्रतिलिपि संल्गित है।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर सहमति जताई है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण/सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गई है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

4. **शुद्ध वर्तमान मूल्य:**

क) प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर अपनी सहमति जताई है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देषों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर अपनी सहमति जताई है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। प्रतिलिपि संल्गित है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 द्वारा एफ0सी0ए0/एफ0आर0ए0 के तहत दिनांक 08.02.2023 के आदेशानुसार वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है।

6. DFO concerned has submitted that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. The undertaking is enclosed herewith.

7. The user agency has submitted that the proposed site is prone to soil erosion and land sliding as mentioned in Geologist Report, therefore as per the recent direction of MoEF& CC vide letter dated 07June, 2022, Soil and Moisture Conservation plan along with detail cost of its

implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where is is not possible for the State to submit the compliance due to delay in preparation of such plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the user agency and submitted alongwith the Stage-1 compliance. The deficit amount, as per said plan, if any from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An undertaking is enclosed herewith.

8. The user agency has submitted that the restrict the felling of trees of maximum 55 trees in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strit supervison of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the State Forest Department. However, the possibility to reduce the numbers of trees especially Quercus Spp. must be explored and the State Forest Department shall constitute a committee comprising Range officer and Site Engineer in-charge and headed by the DFO concerned. The committee shall examine the alignment at the time of execution of work and will recommend the revoval of trees on case to case basis along the RoW after looking into the possibility of reducing the total number of trees to be affected. The DFO shall verify the enumeration and accordingly grant felling permission bases on the actual requirement. DFO will submit the list of trees to IRO Shimla, granted felling permission by him and trees to be retained with in a period of two (2) months after execution of the project. The undertaking for the same duly authenticated by concerned DFO may be provided. The undertaking is enclosed herewith.

9. The State Govt. Shall rectify District profile (Geographical are of District etc.) in part-II of web portal before Stage-II approval. Undertaking is enclosed herewith.

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्ति किया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

11. प्रयोक्ता अभिकरण, आईआरसी मानदंडो के अनुसार यथासम्भव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगे। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

15. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई–पोर्टल के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण लागत एव आकस्मिक शुल्क, और शुद्ध वर्तमान मूल्य, Plantation charges on dumping area & SMCP (CA=Rs.13,56,131/-+ NPV= Rs. 25,70,685/-+ Plantation Charges on dumping area=1,46,670+ SMCP=50,000/- Total.=Rs. 41,23,486/-) की राशि Adhoc-CAMPA मे जमा किये गए है। प्रतिलिपि संल्गित है।

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

17. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

18. वन भूमि एवं आसपास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। इस आश्य की वचन बद्धता सल्गित है।

19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पित ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत्र से पर्याप्तः लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

20. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearing अंकित हो। इस आश्य की वचन बद्धता संलग्नित है।

21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संलग्नित है।

22. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संलग्नित है।

23. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलग्नित है।

24. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलग्नित है।

25. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संलग्नित है।

26. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आष्य पर अपनी सहमति जताई है कि यदि कोई अन्य संबन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी रहेगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलग्नित है।

27. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघनकर्ता पर कार्रवाई होगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलग्नित है।

28. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आष्य पर अपनी सहमति जताई है कि अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0) हि0प्र0